जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 21-07-2021**

आज दिनांक 21.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता जसई निषाद पुत्र शिवमूरत निषाद निवासी गायघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 369/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का0 दीप नारायण शर्मा।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता संजय पुत्र हरिराम निवासी गंगौरा टोला ककरहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 117/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमर सिंह, हे0का0 राजनाथ यादव।

02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- जितेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी कोलकी चमरसन 2- अजय पुत्र जुगुलकिशोर निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 204/2021 व 205/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – का0 उपेन्द्र सिंह, का0 आदित्य सिंह।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 06 अभियुक्त गिरफ्तार, 629 रुपये नकद व ताश के 104 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – रामतेज राजभर पुत्र रंगीलाल राजभर 2- रोहित कुमार पुत्र संतराम 3 – लवकुश राजभर पुत्र रंगीलाल राजभर निवासी फेउसी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 140 रुपये मालफड़ व 270 रु0 जामातलीशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 206 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – इम्तियाज अली खां पुत्र अनवर अली 2- अजीजुर्रहमान पुत्र अजमत अली 3 – कय्यूम खां पुत्र नूर मोहम्मद निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 109 रुपये मालफड़ व 110 रु0 जामातलीशी तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 207 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- का0 उपेन्द्र सिंह, का0 आदित्य सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत उचहराकला से इवेन्ट संख्या 14811 से कालर ने किसी व्यक्ति द्वारा चोरी के प्रयास को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 श्रवण कुमार त्रिपाठी, मु0आ0 दिनेश प्रसाद, हो0चा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 145 वाहनो से 145500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 145 वाहनो से 145500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।